523

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर
अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 154/2019 जिला अजमेर

2019/00154

कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्री मोटूमल, जाति सिंधी, निवासी फ्रण्ड्स कॉलोनी, बडी बस्ती, पुष्कर तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

— अपीलांट

बनाम्

1. श्रीमती चंचल वर्मा तथाकथित पत्नि स्व0 श्री महेन्द्र कुमार वर्मा
2. सुश्री याशी सिंह तथाकथित पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार वर्मा
3. सुश्री इति सिंह तथाकथित पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार वर्मा

   समस्त जाति कुमावत, हाल निवासीगण मकान नं0 18/10 प्रथम मंजिल ऑटूय लेन, किंगवे कैम्प, दिल्ली।

26.4.19

4. श्रीमती रचना वर्मा धर्मपत्नि स्व0 श्री महेन्द्र कुमार वर्मा
5. सुश्री लतिका वर्मा पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार वर्मा
6. श्री कृष पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार वर्मा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रचना वर्मा

   समस्त जाति कुमावत, निवासीगण ए-92 सैकण्ड फ्लोर, नारग कॉलोनी जनकपुरी नई दिल्ली-59

7. श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी 2 ख 9 शास्त्री नगर, अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय पुष्कर जिला अजमेर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पुष्कर दिनांक 18.5.2018 अन्तर्गत वाद सख्या 46/2016 (183/2013) बउनवानी श्रीमती चंचल वर्मा वगेरह बनाम् श्रीमती रचना वर्मा वगेरह।

04.2.22

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील हेतु पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 19.01.2022 को आपसी सहमति से बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र वास्ते स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर डिक्री की पालना करने बाबत् शर्त के साथ उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को आदेश फरमाने बाबत् का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की जरखरीद खातेदारी की भूमि है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा वाद संख्या 46 / 2016(183 / 2013) मे रेस्पोडेन्ट श्रीमती चंचल वर्मा एवं इसके पुत्र, पुत्रीयों का आधा हिस्सा निहित होने बाबत् डिक्री दिनांक 18.05.2018 को जारी फरमाई गई है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है जिसके अनुसार श्रीमती चंचल वर्मा एवं इसके पुत्र, पुत्रीयों का विवादित भूमि मे कोई हिस्सा निहित नहीं होना एवं सम्पूर्ण आराजीयात वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने बाबत अंतिम निर्णय किया जाना तय हुआ है इस बाबत श्रीमती चंचल वर्मा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित मे निवेदन किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 3 का आधा हिस्सा निहित होना माना गया है जिसके द्वारा वर्तमान अपीलांट के नाम खातेदारी हक यथावत् रखा जाना स्वीकार किया जा चुका है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 के हक में विवादित भूमि के 1/2 हिस्से की आज्ञप्ति जारी की गई है जिस बाबत् पक्षकारान के मध्य हुए सहमति अनुसार उक्त 1/2 हिस्सा का मुद्रांक शुल्क जमा कराने पर अपीलाट के हक मे आज्ञप्ति जारी फरमाया जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा वाद पत्र संख्या 145 / 2010 बउनवानी रोशन अली वगैरह बनाम समदा वगैरह में इसी प्रकार का आदेश एवं आज्ञप्ति पारित फरमाई गई है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न की गई है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के 1/2

लगातार

154/2019/225 कन्हैया लाल बनाम श्रीमती चंचल वर्मा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	20.9.2022 154 रेस्पो. 4 तेन प्र. श्री मनोज सिंह राठौड़ श्री एन.एस. राजावत 1 से 3	

लगातार

हिस्से की भूमि की नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अपीलांट द्वारा जमा करवाने पर वर्तमान अपीलांट के नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 3 के 1/2 हिस्से की भूमि का वर्तमान अपीलांट कन्हैया लाल को खातेदार घोषित कर उक्त 1/2 हिस्से की भूमि का बाद स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर अपीलांट कन्हैया लाल के नाम अधिकार अभिलेख में डिक्री की पालना में बहैसियत खातेदार दर्ज करने का आदेश/आज्ञप्ति पारित करने का श्रम कर अनुग्रहित करें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर0आर.टी0 2011(1) पेज 665 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र एवं अपील को स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.11.2019 को प्रस्तुत राजीनामें को दिनांक 16.12.2019 को इस आधार पर निरस्त किया था कि राजीनामे में पक्षकारान के द्वारा इस भूमि को अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में समर्पित की गई, के संबंध में कोई भी पंजीबद्ध दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । बिना पंजीबद्ध दस्तावेज के राजस्व हानि कारित होती है जो सार्वजनिक नीति के विरूद्ध है । चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 16.12.2019 द्वारा राजीनामा अस्वीकार किया जा चुका है ऐसी स्थिति में उक्त राजीनामे में पारित निर्णय के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जहां तक मूल अपील का प्रश्न है । अपीलांट ने हस्तगत अपील चिलंब से पेश की है जिसके संबंध में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार की जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का बहस में मुख्य कथन रहा है कि वादिया/रेस्पो0 द्वारा मृतक महेन्द्र के उत्तराधिकारी होने के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 को महेन्द्र वर्मा का वारिस मानकर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो विधि विरूद्ध हैं । अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट एवं रेस्पो0 ने न्यायालय हाजा के समक्ष राजीनामा दिनांक 5.11.2019 को पेश कर कथन किया कि "अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के मध्य अपील में वर्णित भूमि के संबंध में लोक अदालत अदालत की भावना के तहत राजीनामा हो चुका है, जिस राजीनामा के तहत रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा विवादित भूमि में पैतृक रूप से निहित हक व अधिकारों को समाप्त करते हुए अपीलांट के पक्ष में समर्पित कर दिये है जिसके संबंध में समझौता प्रतिफल राशि निर्धारित होकर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । इस प्रकरण में निहित विवादित भूमि के संबंध में राजीनामा के आधार पर विवाद समाप्त होकर सर्वाधिकार अपीलांट में निहित हो चुके हैं। तदानुसार राजीनामा अनुसार डिक्री पारित किये जाने हेतु यह राजीनामा पेश किया जा रहा है।" इसके अतिरिक्त अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 19.1.2022 को एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य हुए सहमति अनुसार अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के 1/3 हिस्से की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा कराने को तैयार है । अतः रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के 1/2 हिस्से की भूमि का वर्तमान अपीलांट कन्हैयालाल को खातेदार घोषित किया जावें । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा उत्त्राधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में वाद के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 को महेन्द्र वर्मा का उत्तराधिकारी मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2018 को पारित कर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित्त किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । चूंकि पक्षकारान द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष राजीनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पुष्कर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

15/2019/223 कन्हैया लाल बनाम श्रीमती चंचल वर्मा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00/521 रेस्पा. पलेन अनु	
पेशी	श्री अजीत सिंह राठौड़ श्री एन.एम. राजावत	
लगातार	पेश किया गया है यद्यपि उक्त राजीनामा न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया जा चुका है किन्तु उभयपक्षकारान ने स्वंय को उक्त राजीनामे से बाधित होने का कथन किया है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय में दिये विवेचन के कम में उभयपक्ष को सुनकर वाद का गुणावगुण पर निर्णित करे । उभयपक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष राजीनामा एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 19.1.2022 वास्ते स्टाम्प शुल्क जमा कराने के संबंध में चारजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । 4/2/2022 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	